न्यायालयः– श्री सौरभ कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, उदाकिशुनगंज।

Alamnagar P.S. Case No.-183/2014

राज्य बनाम अज्ञात

Date	Order with proceeding	Remarks
20.07.2026	अभिलेख आज न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी न्यायालय में उपस्थित हैं। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह प्राथमिकी सूचक चौकीदार 2/9 देवशरण पासवान के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी आलमनगर थाना कांड संख्या–183/2014 दिनांक–16.12.2014 भा0दं0वि0 की धारा–302/201 के अन्तर्गत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अंतिम प्रपत्र संख्या–85/2015 दिनांक–03.07.2015 भा0दं0वि0 की धारा–302/201 के अन्तर्गत अज्ञात के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन करके समर्पित किया गया। सूचक को नोटिस निर्गत किया गया है। सूचक अनुपस्थित है। इस वाद के सूचक द्वारा कोई नाराजगी आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि सूचक को वाद में अग्रतर कारवाई चलाने हेतु कोई अभिरूची नहीं रह गयी है। ऐसी स्थिति में वाद पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं वाद का निष्पादन किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, उदाकिशुनगंज।	